# कार्यालय वन मण्डल अधिकारी, सामान्य वनमण्डल रायसेन (म0प्र0)

*जिला एवं सत्र न्यायालय के सामने सांची रोड रायसेन (म.प्र.)*

**E-mail - dfot.rsn@mp.gov.in (Phone & Fax No. 07482 - 222027 )**


क्रमांक / माचि / 229 रायसेन,दिनांक 20/ 01 / 2025

प्रति,

मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसोर्सेस
प्रा.लि. अहमदाबाद गुजरात।

विषय :– मेसर्स स्ट्राटाटेक मिनरल्स रिसोर्सेस प्रा.लि. के सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 1397.54 हे.वनभूमि में धिरौली कोल ब्लोक के वनभूमि व्यपवर्तन के आनलाईन प्रस्ताव FP/MP/MIN/142344/2021 प्रकरण में क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु म0प्र0 अंतर्गत जिला रायसेन में दी जा रही गैर वनभूमि के उपयुक्तता बावत्।

संदर्भ :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पत्र क्रमांक / एफ–1 / FP/MP/MIN/142344/2021/2910 दिनांक 07.07.2023 तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का पृ0 पत्र क्रमांक / एफ–1 / 845 / 2023 / 10–11 / 2023 / 5026 दिनांक 26.09.2024

––– 00 –––

विषयांकित प्रकरण के संबंध मे लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का संदर्भित पत्र दिनांक 07.07.2023 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार उनके द्वारा सिंगरौली जिले के तहसील सरई में रकबा 1397.54 हेक्टेयर वनभूमि में धिरौली कोल ब्लोक के वनभूमि व्यपवर्तन के विरूद्ध क्षतिपूर्ति वनीकरण हेतु तहसील बेगमगंज जिला रायसेन म0प्र0 अंतर्गत दी जा रही गैर वनभूमि की के.एम.एल फाईले इस कार्यालय को प्रेषित कर उपरोक्त गैर वनभूमि का स्थल निरीक्षण कर यह जानकारी चाही थी कि उपरोक्त उपलब्ध कराई जाने वाली गैर वनभूमि, वनभूमि तो नहीं है ? तथा उपरोक्त गैर वनभूमि वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त है अथवा नहीं ? यदि हॉ तो इसकी क्षतिपूर्ति वनीकरण योजना तैयार कर तकनीकी स्वीकृति सहित उनकी ओर प्रेषित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था। तदानुसार इस कार्यालय द्वारा ग्राम चैनपुरा मुजप्ता तहसील बेगमगंज जिला रायसेन स्थित खसरा नं0 120 / 2, खसरा नं. 120 / 1 / 1 / 3 कुल रकबा 9.893 हेक्टेयर उपलब्ध कराई जाने वाली गैर वनभूमि की 11 वर्षीय वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार कराई जाकर योजना तकनीकी स्वीकृति हेतु वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल की ओर प्रेषित की गई। तदउपरान्त वन संरक्षक भोपाल वृत्त भोपाल के आदेश दिनांक 15.01.2025 द्वारा उपरोक्त प्रेषित वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना की तकनीकी स्वीकृति जारी की गई। प्रकरण के संबंध मे अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल का संदर्भित पत्र दिनांक 26.09.2024 इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है जिसके अनुसार निर्देशित किया गया है कि क्षतिपूर्ति वनीकरण कार्य पर होने वाले व्यय की राशि का मांग पत्र आवेदक विभाग को जारी कर उक्त राशि कैम्पा मद मे जमा कराई जावे। प्रकरण के संबंध मे आपके पत्र दिनांक 09.12.2014 द्वारा लेख किया गया है कि प्रस्तावित गैर वनभूमि पर फेंसिंग का कार्य आप द्वारा न कराया जाकर वन विभाग द्वारा ही कराया जावे।

अतः सामान्य वन मण्डल रायसेन के अंतर्गत ग्राम चैनपुरा मुजप्ता तहसील बेगमगंज जिला रायसेन स्थित निजी भूमि खसरा नं0 120 / 2, खसरा नं. 120 / 1 / 1 / 3 कुल रकबा 9.893 हेक्टेयर उपलब्ध कराई जाने वाली गैर वनभूमि की वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना अनुसार व्यय होने वाली **कुल राशि 7685979 /–** होती है जिसे कैम्पा मद मे जमा कर चालान की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

म0प्र0 शासन वन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के परिपत्र क्रमांक / एफ–25–36 / 2005 / 10–3 / 2002 / दिनांक 09 / 10 अक्टूबर 2023 द्वारा जारी निर्देशानुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना मे पर्यवेक्षण शुल्क की राशि सम्मिलित नहीं की गई है परियोजना मे प्रथम चरण की स्वीकृति उपरान्त नियमानुसार पर्यवेक्षण शुल्क की राशि जमा कराये जाने हेतु पृथक से मांग पत्र जारी किया जावेगा।

(विजय कुमार)
भा.व.से.
**वन मण्डलाधिकारी,**
**सामान्य वनमण्डल रायसेन**

पृ0क्रमांक / माचि / 230 रायसेन, दिनॉक 20 / 01 / 2025

प्रतिलिपि :–

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू–प्रबंध) म0प्र0 भोपाल की ओर उनके पृ0 पत्र क्रमांक / एफ–1 / 845 / 2023 / 10–11 / 2023 / 5026 दिनांक 26.09.2024 एवं इस कार्यालय के पृ0 पत्र क्रमांक / माचि / 50 दिनांक 08.01.2025 के संबंध मे सूचनार्थ सम्प्रेषित।

**वन मण्डलाधिकारी,**
**सामान्य वनमण्डल रायसेन**